बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भात के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में गलवार तिथि १६ दिसम्बर १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

बिहार विधान-परिषद् से प्राप्त संदेश।

MESSAGES RECEIVED FROM THE BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL.

SECRETARY : Sir, the following massages have been received from the Council :—

(1) That the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 15th December 1958 agreed without any amendment to the Bihar Molasses (Control) (Second Amendment) Bill, 1958 which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 11th December 1958.

(2) That the Bihar Legislative Council at its meeting held on the 15th December 1958 agreed without any amendment to the Bihar Molasses (Control) (Amendment) Bill, 1958 which was passed by the Bihar Legislative Assembly at its meeting held on the 2nd December 1958.

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

बिहार लैंड रिफॉर्म्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ (१९५८ की वि० सं० २३)।

THE BIHAR LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL, 1958 (L. A. BILL NO. 23 OF 1958).

अध्यक्ष—इस बिल पर खंडशः विचार कल चल रहा था। क्लाज ३ लिया जाय।

***Shri RAMANAND SINGH :** Sir, I beg to move :

That in proposed clause (*c*) of section 4, for the words "be recoverable, when so ordered by the Collector" occurring in lines 7 and 8 the words "be recoverable by the Collector" be substituted.

अध्यक्ष महोदय, सेक्शन ३ के (सी) में जो दिया हुआ है उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"all arrears of revenue and cesses remaining lawfully due in respect of the estate or tenure on the date of vesting and all other amounts recoverable by the State Government from the

outgoing intermediary under any law for the time being in force, shall continue to be recoverable from him and shall, without prejudice to any other mode of recovery, be recoverable, when so ordered by the Collector, by the deduction thereof from the amounts payable to such intermediary under section 32, section 32A or section 33.

अध्यक्ष महोदय, इसको देखने के बाद मालूम होगा कि कलक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह चाहेगा तो ऑर्डर करेगा और नहीं तो नहीं। "when so ordered" लफ्ज रहने से मतलब यह होता है कि कलक्टर जिससे चाहेगा सेस और रेवेन्यू वसूल करेगा और जिसे चाहेगा छोड़ देगा। इस चीज की गुंजाइश नहीं रहेगी यदि इस अल्फाज को हटा दिया जाय। अगर यह चीज कलक्टर के हाथ में रह जाती है तो बड़ा खराब होगा और खतरा भी है। साथ ही साथ लॉ में इस तरह का लोकुना रहने से ही ऑफिसर द्वारा करप्शन की गुंजाइश रहती है। मैं मिसाल देकर इस बात को साफ कर देना चाहता हूं। आप शिवहर मेला की बात लें . . .

अध्यक्ष—शान्ति! शान्ति! उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानंन्द सिंह—हुजूर, इसमें यह रेलिवेन्ट है और अभी उदाहरण द्वारा साफ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कानून का गलत इन्टरप्रेटेशन होता है।

अध्यक्ष—योग्य ऑफिसर के हाथ में गलत इन्टरप्रेटेशन नहीं होता है। आप बैठ जायं।

श्री बिनोदानन्द झा—यह इसलिए जरूरी है कि हम मूल विधेयक में महत्वपूर्ण सुधार कर रहे हैं। ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी की सिफारिश को समावेश करके इसमें सुधार कर रहे हैं। पहले था कि लैंड रेवेन्यू एंड सेस को हम कम्पनसेशन से नहीं काट सकते थे। हमलोगों ने उसमें यह तरमीम किया कि जितना बकाया हो, जितना पावना हो, कम्पनसेशन से काट लें। सेक्शन ३२ के मुताबिक कम्पनसेशन हमें ४० इन्स्टालमेंट में देना है। मान लीजिए कि २० करोड़ जमींदारों के पास हमारा पावना है और ३० करोड़ का बौंड दिया। ५० करोड़ रुपया जो कम्पनसेशन का हमने दिया वह कानून के मुताबिक हमें ४० वर्षों में देना था। हमने पहले से तय कर लिया है बैंक से कि ४० वर्षों का सूद देंगे। कर्ज का इतना ज्यादा डिडक्शन करना पड़े और एक साल में २० करोड़ देना पड़े तो हमारा वजेटरी पोजीशन अफेक्ट करेगा। हमें देखना पड़ेगा कि फाइनेंस हमारा एलाउ करता है या नहीं। हम ऐसा करना चाहते हैं, इसलिए यह अधिकार रख रहे हैं।

अध्यक्ष—जितना उनका बाकी है और नहीं बाकी है उसके मुताबिक होगा तब आप देंगे?

श्री बिनोदानन्द झा—जितना उनका बाकी होगा हम देंगे बशर्ते कि हमारा फाइनेंस एलाउ करे।

अध्यक्ष—उनका अगर आपके बकाए से बढ़ जायगा तो आप देंगे?

श्री बिनोदानन्द झा--हम जितना देंगे वह बौंड के रूप में देंगे। कानून हमें बेस्ट करता है ४० साल में देने के लिए। जो उनके यहां पावना है उनको एक-ब-एक ऐडजस्ट करना पड़ेगा और कैश क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे ६७ लाख जमींदारों के यहां सेस का बकाया है। हमने ६७ लाख का सार्टिफिकेट रोक दिया, कहा कि कुर्की मत करो हम कम्पेंनसेशन से देंगे। इसका सिगनिफिकैन्स यह है कि वह ६७ लाख रुपया कम्पेनसेशन से ऐडजस्ट करना पड़ेगा और एक दिन में क्रेडिट करना पड़ेगा। जो ६७ लाख रुपया कम्पेनसेशन का देते वह ४० साल में देते लेकिन जिस दिन कम्पेनसेशन से ऐडजस्ट किया उसी दिन क्रेडिट करना पड़ेगा।

अध्यक्ष--इसमें है "when so ordered by the Collector" अगर कलक्टर ऑर्डर नहीं देगा तो नहीं होगा।

श्री बिनोदानन्द झा--आपका कम्पेनसेशन जो बाकी है वह तो हम कानूनन ४० वर्ष में देने के पावन्द हैं। अब ऑबलिगेटरी कर देते हैं कि जितना जमींदार के पास बकाया है उसको हम उनके कम्पेनसेशन से ले लेते हैं।

अध्यक्ष--तो रियायत क्या किया?

श्री बिनोदानन्द झा--हर केस में देखना पड़ेगा कि जमींदारों के यहां कितना बाकी है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कितना सेस बाकी है, कितना लैंड रेवेन्यु बाकी है। इन सब चीजों के देखने के बाद जो हम अपने फाइनेंस से दे सकेंगे, देंगे।

अध्यक्ष--इसमें है कि:

"all other amounts recoverable by the State Government". This is in the first line of page 2 of the Bill. Further on you say "when so ordered by the Collector". The decision is in your hand. How can you review what you have said in the previous line.

श्री बिनोदानन्द झा--इस विधेयक में क्या इम्पलीकेशन है इसको हम बता देते हैं।

"without any prejudice to any other mode of recovery, be recoverable, when so ordered by the Collector".

अगर किसी सिविल कोर्ट की डिग्री है। इसके इम्पलीकेशन को देखा जाय। कलक्टर को ऑर्डर देना निहायत जरूरी है क्योंकि बिना कलक्टर के आंडर के कम्पेनसेशन अफसर कितना काटेगा। कितना हमारा पावना है यह जब तक कलक्टर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक कितना काटेगा।

अध्यक्ष--उनका जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा वे "when so ordered" शब्दों को delete करना चाहते हैं।

श्री विनोदानन्द झा—माननीय सदस्य अपने अमेंडमेंट के मुताबिक कलक्टर को ऐसा छूट देना चाहते हैं कि स्टैचुटरी प्रोविजन के मुताबिक ऑर्डर देने की जरूरत नहीं हो।

अध्यक्ष—आप भी तो कलक्टर को छूट देते हैं?

श्री विनोदानन्द झा—यहां दो चीजें हैं। पहले ऑर्डर देना पड़ेगा काटने का तब कटेगा। हमारे दोस्त का कहना है कि ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है वे काट लें।

अध्यक्ष—क्या कलक्टर का ऑर्डर अपीलेबुल है?

श्री विनोदानन्द झा—जी हां, कमिश्नर के यहां अपील हो सकती है। यदि लिमिटेशन नहीं रहेगा तो क्लेरिकल एरर के लिये भी कहा जायगा कि रुपया काटा जायगा।

श्री रामचरित्र सिंह—हम एक क्लारिफिकेशन चाहते हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि कलक्टर के ऑर्डर के बाद अपील हो सकती है कमिश्नर के पास। अगर कलक्टर ने ऑर्डर नहीं पास किया तो कमिश्नर के पास अपील कैसे की जायगी?

श्री विनोदानन्द झा—मैं फिर से सब चीज को साफ कर देना चाहता हूं। आप ऑरिजिनल ऐक्ट के सेक्शन ३२ को देखें। वहां लिखा हुआ है:

"When the time within which appeals under section 27 may be made in respect of any entry in or omission from a Compensation Assessment roll has expired or where any such appeal has been made under that section and the same has been disposed of, the Compensation Officer shall proceed to make payment, in the manner provided in this section, to the proprietors, tenure-holders and other persons who are shown in such Compensation Assessment-roll as finally published under section 28 to be entitled to compensation, of the compensation payable to them in terms of the said roll after deducting from the amount of any compensation so payable any amount which has been ordered by the Collector under clause (*b*) or clause (*c*) of section 4 to be so deducted."

कम्पेनसेशन अफसर जुडिसियल अफसर हैं और उनके बाद अपील हाई कोर्ट में होगी। इसलिये कलक्टर को अनलिमिटेड और आरबिट्रेरी पावर नहीं दिया गया है। कलक्टर को हर केस में आर्डर देना होगा कि ४सी के अनुसार इतना काटा गया है। कलक्टर की जरिये ४सी० के स्कोप को बढ़ाया जा रहा है। जब वह ऑर्डर नहीं देगा तब एनटायटर एमाउन्ट कम्पेनसेशन अफसर को देना होगा, खास आर्डर नहीं देगा तब पेमेन्ट हो जायगा। हर ऑर्डर शीट में लिखा जायगा कि इतना रुपया बाकी है और वह रुपया काटा जायगा। यदि यह प्राविजन नहीं रहेगा और हम ब्लैंक चेक दे देते हैं तो उसका दुरुपयोग होगा।

श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे हमारा केस मजबूत होता है। वे हमारी शब्दावली को नहीं मानना चाहते हैं। किसी भी कानून के बनने में हमें यह देखना चाहिये कि कहीं किसी प्रकार के गोलमाल करने की गुंजाइश नहीं रहे, किसी के लिये सिफारिश की गुंजाइश नहीं रहे। मेरे संशोधन को सरकार नहीं मानेगी तो कलक्टर को जो खुश करेगा उसका काम आसानी से हो जायगा। अगर कलक्टर अंडर पास नहीं करेगा तो अपील भी नहीं हो सकेगी। हमारे सामने ऐसे भी केसेज हैं जिन पर कलक्टर ९० दिन तक फाइल पर बैठा रहा है। इसलिये मेरा कहना है कि कानून बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिये।

इसलिये जब तक यह नहीं हटावेंगे तब तक साधारण जनता और लोगों को फायदा नहीं होगा। कलक्टर के ऑर्डर में जाल करने की गुंजाइश रहती है। मैं डेफिनीशन के अनुसार कहता हूं। प्रोविजनली सब-डिप्टी कलक्टर कलक्टर बन जायेगा और वह जो भी चाहेगा अपने मन के मुताबिक करेगा। इस तरह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये जिससे लोगों को खतरे का सामना करना पड़े। इसलिये मेरा कहना है कि "so ordered" की जगह पर "by the Collector" रखा जाय।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, मैं यह माननीय सदस्य से कह देना जरूरी समझता हूं कि यह जो लफ्ज यहां रखा गया है वह सेक्शन ३२ में जैसा है उसी तरह है। कटौती कलक्टर नहीं करेगा, ऑर्डर मिलने पर कम्पेन्सेशन अफसर करेगा। कलक्टर पर लाइबिलिटी नहीं रहेगी कि वह कटौती करे, कम्पेन्सेशन आफिसर करेगा, रुपये देने की जिम्मेवारी कलक्टर पर नहीं है।

SPEAKER : The question is :

That in proposed clause (*c*) of section 4 for the words "be recoverable, when so ordered by the Collector" occurring in lines 7 and 8, the words "be recoverable by the Collector" be substituted.

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

Shri TARA PRASAD BAKSHI : Sir, I beg to move :

That in proposed clause (*cc*) of section 4 the words "without any prejudice to any other mode of recovery" occurring in lines 5 and 6 be deleted.

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था इसके रहने से बहुत ज्यादा संभावना है कि ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग हो। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैंने कल आपके सामने रामगढ़ का रखा था कि किस तरह से सेस के चलते श्री विमला चरण गोस्वामी को सिविल जेल में भेजा गया।

अध्यक्ष—उस वक्त तो यह अमेंडमेंट नहीं था, जिस वक्त जेल दिया गया उस वक्त तो इस तरह की बात नहीं थी, अब तो पोजीशन साफ है?

श्री तारा प्रसाद बक्सी—लेकिन उसका खतरा रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि कम्पेन्सेशन का एमाउन्ट अगर गवर्नमेंट के पास बाकी है तो ऐसा नियम होना चाहिये कि गवर्नमेंट बाध्य होकर उसी एमाउन्ट से अगर बाकी है तो ले ले।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब तक कम्पेनसेशन के रुपये बाकी हो तब तक सरकार को जमींदार पर सर्टिफिकेट आदि नहीं करनी चाहिए। जब मुवावजा के रुपये खत्म हो जायं तभी उस पर सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए। ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट अफसर इनटरमिडियरी को जेल भेज देता है और तरह तरह की परेशानी में उसे डाल देता है। इसलिए मेरा यह संशोधन है कि

"without any prejudice to any other mode of recovery"

को हटा दिया जाय। इसके रहने से जमींदार की इज्जत सुरक्षित नहीं है।

श्री बिनोदानन्द झा—हमलोगों ने कानून का दायरा बहुत विस्तृत कर दिया है।

जितने प्रकार के एमाउन्ट बाकी रहेंगे वे सब एमाउन्ट इसके रहने से वसूल हो जायेंगे। इसके नहीं रहने से अगर किसी जमींदार के यहां रुपया बाकी रहेगा और उसका मकान कलकत्ते में होगा तो उसके द्वारा हम अपने रुपये को वसूल नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने इस चीज को रखा है कि हमारा दायरा बन्द नहीं हो। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि जिन लोगों का बकाया काटा जा सकता है वह काटा जाय लेकिन जिन लोगों का बकाया नहीं काटा जा सकता है उनके लिए इसका रहना जरूरी है।

श्री तारा प्रसाद बक्शी—हम बराबर देखते हैं कि इसका दुरुपयोग होता है। मंत्री

महोदय कहते हैं कि हम दरवाजा बन्द नहीं करेंगे लेकिन वे ऐसा दरवाजा नहीं खोलें जिससे सभी को जेल जाना पड़े। जमींदार का पावना सरकार के यहां ज्यादा है बनिस्वत सरकार का पावना जमींदार के यहां। इसलिए मेरा संशोधन जरूरी था। ऐसा देखा जाता है कि यदि स्टेट का ६ लाख रुपया जमींदार के यहां बाकी होता है तो वह दो वर्ष में वसूल कर लिया जाता है लेकिन जमींदार का जो पावना है उसके लिए ४० वर्ष चाहिए।

SPEAKER : The question is :

That in proposed clause (*cc*) of section 4 the words "without any prejudice to any other mode of recovery" occurring in lines 5 and 6 be deleted.

The motion was negatived.

Shri TARA PRASAD BAKSHI : Sir, I beg to move :

That in proposed clause (*g*) of section 4 the words "or use or caused to be used such force" occurring in lines 15 and 16 be deleted.

रिकभरी के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना जनतांत्रिक राज्य में बहुत बुरा है। जमींदार लोग इसी तरह का काम करते थे जिसके चलते जमींदारी सरकार को लेनी पड़ी। मगर वही काम आज सरकार खुद करने जा रही है जो बहुत दुखदायी बात है। रिकभरी के लिए कानून का दायरा रहते भी फोर्स का इस्तेमाल किया जाय, यह जनतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा नहीं है।

श्री बिनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाता हूं कि यह

चीज ओरिजिनल ऐक्ट में है कि—

"It shall be competent for the Collector to take or cause to be taken such steps and use or cause to be used such force as in the

opinion of the Collector may be necessary for securing complaince with the said order or preventing any breach of the peace".

इसलिए इसको रखा जा रहा है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि सीधे फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जायगा। पहले उनको सभी तरह की सुविधा दी जायगी। नोटिस दी जायगी, समय दिया जायगा, उनकी बातें सुनने का मौका दिया जायगा, यह सब कुछ करने के बाद फोर्स का इस्तेमाल किया जायगा। इसलिए अब कलक्टर सभी तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है तो पुलिस फोर्स के इस्तेमाल का भय माननीय सदस्य को नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मैं आपके संशोधन को नहीं मान सकता।

श्री सिंहेश्वर राय--एस० डी० ओ०, कलक्टर, वी० डी० ओ० आदि हमलोगों से दस-

---

दस रुपया लेते हैं तब कोई काम होता है। आप हमारी बात नहीं सुनते हैं। ——

श्री तारा प्रसाद वक्शी--मंत्री महोदय के जबाव से मालूम होता है कि पहले कलक्टर

को अख्तियार था। वे अब कहते हैं कि कलक्टर अब जमींदार को बुला लेगा और उनके कागजात देखेगा और उसके बाद कार्रवाई करेगा। आप यह जानते हैं कि इससे हमारे संशोधन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पहले की बात थी कि नाजिर दखल दिलाते थे, अब बी० डी० ओ० वगैरह जाकर कब्जा करेंगे। वे फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, उससे आतंक फैल जायगा।

अध्यक्ष—पहले ऐक्ट में तो था।

श्री तारा प्रसाद वक्शी—यह एक नया सेक्शन जोड़ा जा रहा है।

श्री बिनोदानन्द झा—जबाव में मुझे कुछ नहीं कहना है। यह पहले से है। वर्त्तमान

विधेयक में केवल उस अधिकार को कायम रखा गया है।

अध्यक्ष—अब मैं प्रश्न पूछता हूं

(श्री सिंहेश्वर राय बोलने के लिए बार-बार उठते रहे।)

अध्यक्ष—(आसन पर खड़े होकर) माननीय सदस्य को इस तरह नहीं बोलना चाहिए।

श्री सिंहेश्वर राय—आप मेरी बात सुनें। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे रोक

सकते हैं? कितनी दिक्कत से हमलोग वोट लेकर यहां आते हैं और जो गरीबों की बात है वह आपको सुननी चाहिये। अंगरेजों के जमाने में जो हमारी सरकार थी उसने अकाल में कितना रुपया दिया था।

(अध्यक्ष अपने आसन पर खड़े हो गये।)

अध्यक्ष—मैं हुक्म देता हूं कि आप एक मिनट के लिये सभा से बाहर चले जायं।

श्री सिंहेश्वर राय—मैं चला जाऊंगा लेकिन असली बात सुनकर जाऊंगा।

अध्यक्ष—शांति, शांति, आप चले जायं और अभी चले जायं।

(श्री सिहेश्वर राय सभा से बाहर चले गये।)

SPEAKER : The question is :

That in proposed clause (*g*) of section 4 the words "or use or caused to be used such force" occurring in lines 15 and 16 be deleted.

The motion was negatived.

अध्यक्ष—श्री रामानन्द सिंह के संशोधन में जो शब्द "then and there" है उसका क्या मतलब है?

श्री रामानन्द सिंह—अच्छा, तो मैं इसे "within twenty-four hours" कर देता हूं।

अध्यक्ष—हां, तब आपके अमेंडमेंट को मैं सही मानता हूं।

Shri RAMANAND SINGH : Sir, I beg to move :

That in proposed clause (*g*) of section 4, after the words "breach of the peace" occurring in line 18, the following words be added namely :—

"and shall inform the Government of the details within twenty-four hours".

इस सेक्शन के अनुसार कलक्टर को चार तरह का अधिकार दिया जा रहा है जिसमें एक अधिकार यह है कि वे फोर्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर दे सकते हैं। जहां तक मुझे मालूम है किसी भी कानून में फोर्स इस्तेमाल करने का अधिकार कलक्टर को नहीं है केवल मजिस्ट्रेट को है। यदि कलक्टर और मजिस्ट्रेट एक ही आदमी है तो वह मजिस्ट्रेट की हैसियत से ही फोर्स इस्तेमाल कर सकता है कलक्टर की हैसियत से नहीं। इसलिये कलक्टर को ऐसा पावर देना इल्लीगल और अल्ट्रा वायर्स होगा।

दूसरा हक जो उनको दिया जा रहा है वह यह है कि जिस इस्टेट को चाहें लें और जिसको चाहें छोड़ दें। यह ठीक नहीं है। क्योंकि इसके जरिये आप उनको अन-लिमिटेड पावर दे देते हैं और यह उनकी मर्जी की बात हो जाती है चाहें ले लें और जिसको चाहे छोड़ दें। मैं यह चाहता हूं कि यदि आप कलक्टर को फोर्स यूज करने का पावर देते हैं तो यह भी प्रोविजन रहना चाहिये कि वे २४ घंटे के अन्दर इसकी एक रिपोर्ट सरकार को भेज दें।

श्री विनोदानन्द झा—अध्यक्ष महोदय, यह पावर कलक्टर को ओरिजिनल ऐक्ट के अनुसार ही है। कलक्टर इनभेरीएवली मजिस्ट्रेट भी होते हैं। यह प्रोविजन किया गया है कि यदि कलक्टर के नीचे के रैंक के अफसर फोर्स यूज करने का ऑर्डर दें उसका अपील कलक्टर के यहां हो सकता है। जिस वजह से वह ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको लिखना होगा। इसलिए यह अधिकार आरबिटररी नहीं है। आरबिटररी पहले था जब लिखने की जरूरत नहीं थी। अब उनको मजबूर किया जाता है कि कारण लिखें। हमारे दोस्त ने जो सुधार रखा है उसको मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि कोई रिलीफ उसके जरिये नहीं मिलती है और एक

शब्दावली ऐसी आ जाती है जिससे बेमतलब का उलझन पैदा हो जाता है। कलेक्टर कंफिडेन्शियल रिपोर्ट भी देता है और इस तरह से भी देता है। जहां फोर्स यूज करने की जरूरत है या जहां ब्रीच ऑफ पीस का भय है वहां यह अधिकार दिया जाता है और एक फर्स्ट क्लास डिप्टी मैजिस्ट्रेट इस अधिकार का इस्तेमाल करता है। तो हम यहां पर तो खुद कलक्टर को ही जो ज्यादा अनुभवी और जिम्मेवार अफसर है, यह अधिकार दे रहे हैं और उस पर भी जो प्रतिबंध लगाते हैं वह माकूल है। मैं अपने दोस्त के सुधार को फिजूल समझता हूं इसलिए कि उससे कंप्लिकेशन पैदा हो जायगा।

(अन्तराल)

शिक्षकों के शिष्टमंडल से मिलने के लिए सदन की कार्यवाही के स्थगन की मांग।

DEMAND FOR ADJOURNMENT OF THE HOUSE TO MEET THE DEPUTATION OF THE TEACHERS.

श्री महामाया प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर शिक्षकों का एक डेपुटेशन आया हुआ है और वह एक काफी लम्बे-चौड़े जुलूस के साथ है। अपने ग्रीवान्सेज को वे मिनिस्टरों से कहना चाहते हैं और साथ-साथ इस हाउस के सदस्यों से भी कहना चाहते हैं। मैं आपकी सेवा में दरख्वास्त करना चाहता हूं कि १० मिनट के लिए हाउस की कार्रवाई स्थगित कर दी जाय।

अध्यक्ष—पहले भी इस तरह का मौका आया है लेकिन हमलोगों ने हाउस एडजोर्न नहीं किया है।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—मैं इस संबंध में एक कंस्टिट्युशनल बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष—आवश्यकता नहीं है चूंकि हमलोगों ने कभी ऐसा किया नहीं है। जिस मेम्बर की ख्वाहिश हो बाहर जायं या जिस मिनिस्टर की ख्वाहिश हो बाहर जायं, मैं तो किसी को रोकता नहीं हूं।

श्री महामाया प्रसाद सिंह—बात यह है, हुजूर, कि इसके पहले इतने पढ़े-लिखे लोगों की और पढ़ाने वालों की जमायत कभी नहीं आयी थी। दूसरी बात यह है कि आप तो इस सदन के सर्वेसर्वा हैं जो भी कन्वेन्शन आप कर देंगे वह हमेशा के लिए हो जायगा। अगर पहले नहीं था तो उसको आज आप कर सकते हैं। साथ-साथ मैं मिनिस्टर साहेबान से भी दरख्वास्त करूंगा कि इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। उनके ग्रीवान्सेज को आप सुनें और उनके डेपुटेशन से मिलें।

श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल—महोदय, मैं कस्टिट्युशन की बात कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने टीचर प्रॉविन्स भर के हैं आये हुए हैं और वे इस सदन के सामने अपना पेटिशन रखना चाहते हैं। ऐसा वे कर सकते हैं या नहीं इसी के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पहले कोई इस तरह की परिपाटी